झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक = 8/ज०स० (नि०) ग्रा० 08–10/2015 3441 राँची, दिनांक– 01.07.16

संकल्प

श्री जवाहर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, देवघर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 3901 दिनांक – 27.07.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी, जिसमें संचालन पदाधिकारी श्री शिवानन्द राय, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल धुर्वा, राँची नियुक्त है।

विभागीय अधिसूचना सं०–1173 दिनांक– 31.05.16 के द्वारा श्री शिवानन्द राय प्रोन्नति पाकर अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के रूप में पदस्थापित होने के कारण श्री राय द्वारा जाँच संबंधी संचिका वापस कर दी गयी है।

2. अतः श्री जवाहर प्रसाद मंडल के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 1930 के नियम–55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री शिवानन्द राय के स्थान पर श्री चन्द्रशेखर पंडित, अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल, दुमका को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक – 3901 दिनांक 27.07.15 की अन्य कंडिकाये एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ श्री चन्द्रशेखर पंडित, अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

28.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3443 राँची/दिनांक 01.07.16

प्रतिलिपि :–श्री चन्द्रशेखर पंडित, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल दुमका को अनुबंध की प्रति एवं जाँच संचिकाओं के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3443 राँची/दिनांक 01.07.16

प्रतिलिपि :–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पालाजोरी/श्री जवाहर प्रसाद मंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, देवघर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3443 राँची/दिनांक 01.07.16

प्रतिलिपि :–श्री शिवानन्द राय, अभियंता प्रमुख–I जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव